

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
लम्बविधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/3467

दिनांक: 30/07/11....

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(आग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : श्री रामनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, सियौली, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, श्री रामनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, सियौली, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें। शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उन्नतविद्यालय पर यदि पूर्व में पञ्च व्यवहार दुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५३४७

दिनांक: ०६/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री रामनाथ सिंह शिक्षा महाविद्यालय, सियौली, ग्वालियर (0751-2435475) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442633)

(2) प्रो. विरेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. बी.ए.ल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रालशानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुभति/अनुशापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव्य प्रभाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की व्यवस्थाएँ से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यागाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व
कि किसी अन्य व्यक्तिको के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण ने पत्र
व्यवहार कुर्ज थे तो एवं क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए लिखे समिया हो।



ग्रन्थ : घृतीकरित
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2009/ 4557

दिनांक.....15/02/12

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री रामबाबू सिंह शिक्षा महाविद्यालय, सियौली, ग्वालियर (0751-2435475) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अवधारणा नियन्त्रित समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आवार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. रेणु श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोर्टरन कॉलेज, ग्वालियर।

नियन्त्रित समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियोजन कर भुल्क, धरोहर संस्था, कांस्थि शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर नियन्त्रित समिति संयोजक एवं सदस्यों ले सम्पर्क स्थापित कर नियोजन करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उत्तराधित समय में नियोजन करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। नियोजन प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित नियोजन समिति / संयोजक का होगा।


नियन्त्रित गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद नियोजन में की गई देरी के लिए नियन्त्रित उत्तराधित होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 मह में नियोजन बही कराता है तो समिति उत्तराधित हो जावेगी और पुनः नियोजन समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खर्च रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही नियोजन समिति का पुरुंगठन किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियोजन समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय ग्राहक पत्रावली लेकर जारी कर तथा महाविद्यालय की वस्तुतियति से नियोजन समिति को अवगत करायें। नियोजन समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियोजन दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का नियोजन करायें। उक्त नियोजन 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुंडा भवन, भोपाल
- कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपाते के सचिव / कुलसचिव के नियोजन सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र घबराहट कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बलित विषय पर यही पूर्व में यह घबराहट द्वाए हो तो यह क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे लिखारे सुविधा हो।



ग्राम : गुजराती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5062

दिनांक: 25/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2435475) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442817)

(2) डॉ. के. रत्नम्, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर।

(3) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकल्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देखी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वल्प रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावें तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवीय महाविद्यालय हासा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)